

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक: 21.07.2017

आज्ञा

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची-V में संशोधन होने के फलस्वरूप उत्पन्न वेतन विसंगतियों एवं इससे सम्बन्धित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नांकित मंत्रीगण की एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

1. श्री यूनुस खान, मा0 मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. श्री राजपाल सिंह शेखावत, मा0 मंत्री, उद्योग विभाग।
3. डॉ0 रामप्रताप, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग।

उक्त समिति समस्त कर्मचारियों का पक्ष सुनेगी तथा किसी भी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेगी तत्पश्चात् समिति अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

६  
(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रीगण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

  
प्रमुख शासन सचिव